रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2153] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937
No. 2153] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015/ASVINA 15, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2718(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के का. आ. 1249(अ) दिनांक 1 मई, 2015 के अंतर्गत दिनांक 11 मई, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) जिला "अनंतापुरामू", तालुक/मंडल "विडापनाकल" और पुलिस स्टेशन "विडापनाकल" से संबंधित क्रम सं. 01 के सामने, स्तम्भ 5 में प्रविष्टि गांव का नाम "(01) विडापनाकल" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि "वेलपुमाडुगु" अंत:स्थापित की जाएगी।

(ख) जिला "अनंतापुरामू", तालुक/मंडल "उरवाकोंडा" और पुलिस स्टेशन "उरवाकोंडा" से संबंधित क्रम सं. 05 के सामने, स्तम्भ 5 में प्रविष्टि गांव का नाम "(05) मुस्तुर" का लोप किया जाएगा और निम्नलिखित प्रविष्टियां "लट्टावरम, चिन्ना मुस्तुरु, पेड्डा मुस्तुरु" अंत:स्थापित की जाएंगी।

(ग) जिला "अनंतापुरामू", तालुक/मंडल "कुडेरु" और पुलिस स्टेशन "कुडेरु" से संबंधित क्रम सं. 10 के सामने, स्तम्भ 5 में प्रविष्टि गांव का नाम "(10) उडीपिरीकोंडा" का लोप किया जाएगा और निम्नलिखित प्रविष्टियां "उडीरीकोंडा, इप्पेरू" अंत:स्थापित की जाएंगी।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12011/14/2015-एपी/पी-7]

माया प्रकाश, निदेशक

पाद टिप्पणी:- मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 11 मई, 2015 में का. आ. 1249(अ) दिनांक 1 मई, 2015 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2015

S.O. 2718(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 1249(E) dated 1st May, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 11th May, 2015.

In the Schedule to the said Notification,—

(a) Against Serial No.01 relating to district "Anantapuramu", Taluk/Mandal "Vidapanakal" and police station "Vidapanakal" in the 5th column name of the village after entry "(1) Vidapanakal" the following entry "Velpumadugu" shall be inserted.

(b) Against Serial No.05 relating to district "Anantapuramu", Taluk/Mandal "Uravakonda" and police station "Uravakonda" in the 5th column name of the village "(5) Mustoor" shall be deleted and the following entries " Lattavaram , Chinna Mushturu, Pedda Mushturu" shall be inserted.

(c) Against Serial No.10 relating to district "Anantapuramu", Taluk/Mandal "Kuderu" and police station "Kuderu" in the 5th column name of the village "(10) Udipirikonda" shall be deleted and the following entries "Udiripikonda, Ipperu" shall be inserted.

[F. No. RW/NH-12011/14/2015-AP/P-7]

MAYA PRAKASH, Director

Foot Note : The principal notification were published vide S.O. 1249(E) dated 1st May, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 11th May, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.